सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैः

क. साधारण

1. संघ उत्पाद शुल्कों के संबंध में टैरिफ परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए विधेयक के खंड 57 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है।
2. 2%, 2.5% और 3% की आधारिक सीमाशुल्क दरों को 2.5% की मध्यक दर पर एकीकृत किया जा रहा है।

ख. टैरिफ दरों के संशोधन द्वारा या अधिसूचना द्वारा, शुल्क की दरों में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

I. **खाद्य/कृषि प्रसंस्करण/कृषि**

(1) विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी जैसे धान रोपक, लेसर भूमि समतलक, रूई पिकर, कटाई-सह-बांधक, भूसा या चारा बेलरों, गन्ना हार्वेस्टरों, ट्रैक टाइप कम्बाइन हार्वेस्टर विनिर्माण आदि के लिए प्रयुक्त ट्रैक पर मूल सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(2) ऊपर (1) के उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित भागों और अवयवों पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(3) सूक्ष्म सिंचाई उपस्कर (टैरिफ मद 84248100) पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(4) अपरिष्कृत पिस्ते पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

(5) धूप में शुष्कित काले बीजरहित किशमिश पर आधारिक सीमाशुल्क को 100% से घटाकर 30% किया जा रहा है।

(6) क्रेनबेरी उत्पादों पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

(7) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को डी ऑइल्ड चावल की खली पर विस्तारित किया जा रहा है।

(8) डीऑइल्ड चावल की खली के निर्यात पर 10% का निर्यात शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

II. **आटोमोबाइल**

(1) मूल सीमाशुल्क से पूर्ण छूट और एसएडी तथा रियायती सीवीडी 5% की दर पर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट के रूप में) हाइब्रिड यानों के विनिर्दिष्ट हिस्सों अर्थात् बैटरी पैक, बैटरी चार्जरों, एसी/डीसी वैद्युत मोटरों और मोटर नियंत्रकों तक विस्तारित किया जा रहा है। रियायत वास्तिविक उपयोक्ता दशा के अधीन है और 31.03.2013 तक उपलब्ध रहेगी।

(2) सीमाशुल्क छूट और उपरोक्त (1) में 5% की दर पर रियायती सीवीडी ऐसे आयातकों द्वारा वैद्युत यानों के लिए स्पेयर बैटरी पैकों के आयात के लिए उपलब्ध कराई जा रही है जो अपारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्कीम के लिए अधिसूचित अभिकरणों के पास रजिस्ट्रीकृत हैंः

(3) रियायती आयात शुल्क के लिए पात्र किसी यान के, जिसके अंतर्गत दुपहिया यान भी हैं, "कंपलीटली बॉक्ड डाउन (सीकेडी) यूनिट" की परिभाषा को अंतः स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि संयोजन-पूर्व इंजन या गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र या चेसिस को अंतर्विष्ट करने वाले ऐसे यूनिटों को उसके विस्तार से वहां अपवर्जित किया जा सके, जहां ऐसे भागों या उपसंयोजनों में से किसी को प्रतिष्ठापित किया गया है।

III. **विशेष आर्थिक जोनः**

(1) एसईजेड से डीटीए को सभी समाशोधन 4% की दर पर एसएडी से छूट प्रदान किए जा रहे हैं परन्तु उन्हे वैट/विक्रय कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त न हों।

(2) विनिर्दिष्ट अध्यायों के अंतर्गत आने वाले मालों के स्क्रैप या अपशिष्ट से भारत में पुनः प्रसंस्कृत प्लास्टिक सामग्रियों को वर्तमान में सीवीडी छूट उपलब्ध है जिसे एसईजेड इकाईयों में विनिर्मित ऐसी प्लास्टिक सामग्रियों के घरेलू टैरिफ क्षेत्र समाशोधनों तक भी विस्तारित किया जा रहा है।

IV. **पोत मरम्मत**

पोत मरम्मत इकाईयों को समुद्र गामी यानों की मरम्मत के लिए अपेक्षित स्पेयर और कन्ज्यूमेबल के आयात पर वर्तमान में उपलब्ध छूट का लाभ भारत में रजिस्ट्रीकृत ऐसे यानों के स्वामियों द्वारा समुद्र गामी यानों की मरम्मत के लिए ऐसे स्पेयर और कन्ज्यूमेबल पर विस्तारित किया जा रहा है।

V. **टेक्सटाइल**

(1) सभी श्रेणियों के अपरिष्कृत रेशम (नॉट थ्रोन) पर मूल सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(2) सूत अपशिष्ट को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(3) वास्तविक उपयोक्ता दशा के अधीन, पॉली टेट्रा मेथलीन ईथर ग्लाइकॉल (पीटीएमईजी) और डाईफेनिल मीथेन 4,4–डाइआइसोसाइनेट (एमडीआई) पर मूल सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(4) एक्रिलोनाइट्राइल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(5) सोडियम पॉलीएक्रिलेट पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(6) कैप्रोलैक्टम पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

(7) नाइलोन चिप्स, फाइबर और यार्न पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

(8) रेयान काष्ठ गूदे पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

VI. **पूंजी माल/अवसंरचना**

(1) कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्रदाय परियोजनाओं को सीमाशुल्क की पूर्ण छूट के क्षेत्र को छूट ऐसी परियोजनाओं के जल पंपिंग स्टेशन और जलाशयों तक लाकर बढ़ाया जा रहा है।

(2) जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए "टनेल बोरिंग मशीन" और उसके पुर्जों को वर्तमान में उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क और सीवीबी से पूर्ण छूट का लाभ राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए ऐसी मशीनों तक विस्तारित किया जा रहा है।

(3) विनिर्दिष्ट रत्न और आभूषण मशीनरी के लिए आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(4) नकदी डिस्पेंसरों को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। वास्तविक उपयोक्ता के आधार पर पर नकदी डिस्पेंसरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों को भी आधारिक सीमाशुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

(5) उच्च गति मुद्रण मशीनरी को वर्तमान में लागू 5% आधारिक सीमाशुल्क, 5% सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती आयात शुल्क को रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र स्थापनों द्वारा आयतित ऐसी मुद्रण मशीनों के साथ संगत मेलरूम उपस्कर तक विस्तारित किया जा रहा है।

(6) 5% आधारिक सीमाशुल्क, 5% सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती दर को 23 विनिर्दिष्ट उच्च वोल्टेज पारेषण उपस्करों के विनिर्माण के लिए पुर्जों और अवयवों तक विस्तारित किया जा रहा है।

(7) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को जैव आधारित एस फाल्टित सीलर और परिरक्षण अभिकर्त्ता; भ्रमीकर्तमन रिमूवर और दरार भरक, एसफाल्टिन रिमूवर और संक्षारण बचाव तथा जैव आधारित एसफाल्टित उपयोजनों के लिए फुहार प्रणाली पर विस्तारित किया जा रहा है।

VII. **पर्यावरण अनुकूल मदों को रियायतें**

(1) 5% की दर पर रियायती सीवीडी (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट के रूप में) और एलईडी प्रकाश और प्रकाश फिक्सचरों के विनिर्माण के लिए उपयोजित एलईडी को एसएडी से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(2) सौर लालटेन या लैम्पों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(3) वास्तविक उपयोक्ता दशा पर सौर सेल या सौर प्रत्यास्थत के विनिर्माण के लिए आयातित सख्त ग्लास और रजत पेस्ट को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को विस्तारित किया जा रहा है।

VIII. **स्वास्थ्य सेक्टर**

(1) एनडोवेसकुलर स्टेंट्स को 5% की आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(2) 5% आधारिक सीमाशुल्क के रियायती आयात शुल्क रिजीम, वास्तविक उपयोक्ता शर्त पर सीरिंग सुईयों कैथेटर्स, कैन्यूल के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर 5% सीवीडी और शून्य एसएडी विहित किया जा रहा है।

(3) खुदरा विक्रय के लिए आयातित पी और पी औषधों को एसएडी से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(4) चार विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक ओषधियों और उनकी प्रपुंज औषधियों पर सीमाशुल्क को शून्य सीवीडी के साथ 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है (उत्पाद शुल्क की छूट के रूप में)।

(5) होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आधारिक सीमाशुल्कों को 25% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

IX. **इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर**

(1) 5% सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती आयात शुल्क संरचना को इंकजेट के भागों और ऐसे प्रिंटरों के विनिर्माण के लिए आयातित लेजर जेट प्रिंटरों हेतु।

(2) पीसी संयोजक केबल और बैटरी चार्जर के भागों के उपभाग और संघटक हेंड फ्री के हेडफोन और मोबाइल हैंडसेट जिसमें सेलुलर फोन भी हैं, के पीसी संयोजक केबल को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(3) मोबाइल हैंडसेट जिसमें सेलुलर फोन भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के लिए भागों, संघटकों और उपसाधनों पर इस समय 31.03.2011 तक उपलब्ध एसएडी से पूर्ण छूट को 31.03.2012 तक विस्तारित किया जा रहा है।

(4) इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त विनिर्दिष्ट पूंजी माल और कच्ची सामग्री को सीमाशुल्क से पूर्ण छुट प्रदान की जा रही है।

(5) वास्तविक उपयोक्ता दशा के अधीन डीवीडी रायटर्स, काम्बो ड्राइव और सीडी ड्राइव के विनिर्माण के लिए भागों पर 5% सीवीडी की रियायती आयात शुल्क और शून्य एसएडी को विहित किया जा रहा है।

X. **वायुयान**

(1) गैर अनुसूचित प्रचालनों के लिए, वायुयानों के आयात पर 2.5% आधारिक सीमाशुल्क अधिरोपित किया जा रहा है। अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) से छूट जारी रहेगी।

(2) वायुयानों को इस समय उपलब्ध शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट को वापस लिया जा रहा है।

XI. **निर्यात संवर्धन**

(1) निर्यात के लिए चमड़े के माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयातित किए जाने के लिए अनुज्ञात विनिर्दिष्ट माल की सूची को निर्यात के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

(2) टेक्सटाइल और चमड़े के वस्त्र के विनिर्माण में उपयोग के लिए मुक्त आयातित शुल्क अनुज्ञात किए जाने के लिए के लिए विनिर्दिष्ट माल की सूची को चोरी रोधी युक्तियों जैसे उसमें लैबल, टैग और सेंसर की सम्मिलित करके विस्तारित किया जा रहा है।

(3) मदों की सूची में कुछ मदों के वर्णन में परिवर्तित किया जा रहा है जो टेक्सटाइल/चमड़े के वस्त्र और निर्यात के लिए अन्य चमड़े के माल के विनिर्माण के लिए मुक्त आयातित शुल्क के लिए अनुज्ञात है।

(4) कुछ शर्तों के अधीन वणिक निर्यातकर्त्ताओं/उनके समर्थनकारी विनिर्माताओं द्वारा चमड़े के माल, जूतादि और टैक्सटाइल के लिए झालरों, अलंकरणों को शुल्क रहित आयात का फायदा विस्तारित किया जा रहा है।

(5) हस्तशिल्प निर्यातकर्ताओं को मुक्त आयातित शुल्क के लिए अनुज्ञात हस्तशिल्प सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले विनिर्दिष्ट औजारों को विनिर्दिष्ट माल, की सूची में सम्मिलित किया जा रहा है।

(6) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को फिन मछली के भोजन पर विस्तारित किया जा रहा है।

(7) वेनामी ब्रूडस्टाक पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

(8) अगरबत्ती के विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए बांस पर आधारिक सीमाशुल्क 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

XII. **कागज**

(1) अपशिष्ट कागज पर आधारिक सीमाशुल्क को घटा कर 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

XIII. **धातु**

(1) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर विस्तारित किया जा रहा है।

(2) फेरो निकल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(3) 20% पर लौह अयस्क फाइन और प्रपिडक पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दर का एकीकरण करते समय लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क की कानूनी दर को 20% से बढ़ाकर 30% किया जा रहा है।

(4) लौह अयस्क गुटिकाओं को निर्यात शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(5) ताम्र धातु मल, ताम्र अवशिष्ट, ताम्र आक्साइड मिल स्केल, पीतल धातुमल और जस्ता भस्म को एसएडी के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की जा रही है।

(6) वेनाडियम पेंटोक्साइड और वेनाडियम स्लज पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(7) ताम्र सांद्र में अंतर्विष्ट स्वर्ण और रजत के मूल्य पर आधारिक सीमाशुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

XIV. **बहुमूल्य धातुएं**

"शून्य आधारिक सीमाशुल्क प्रति 10 ग्राम 140 रूपए का सीवीडी और शून्य एस.एडी के आयात शुल्क को भारत में क्रमिक संख्यांकित स्वर्ण शालाकाओं के परिष्किरण और विनिर्माण के लिए आयातित परिष्करण और विनिर्माण के लिए आयतित 80% स्वर्ण शुद्धता तक स्वर्ण डोर शलाकाओं के लिए विहित किया जा रहा है।

XV. **प्रकीर्ण**

(1) कार्बन ब्लैक फीड स्टाक पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(2) पेट्रोलियम कोक पर आधारिक सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(3) खनिज जिप्सम पर आधारिक सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

(4) वास्तविक उपयोक्ता के आधार पर लांड्री साबुन के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपरिष्कृत ताड़ स्टेयरिन को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(5) वर्तमान में, कलाकृतियों और पुरावशेषों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित को सम्मिलित कर के छूट के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है

(क) प्राइवेट गैलेरी या उसी प्रकार के परिसर जो साधारण जनता के लिए खुले हैं, में प्रदर्शनी या संप्रदर्श के लिए कलाकृतियां और पुरावशेष;

(ख) विदेश में भारतीय कलाकार द्वारा सृजित कलाकृति, इस तथ्य. को ध्यान दिए बिना कि किसी कलाकार या मूर्तिकार के उनके भारत लौटने पर उनके साथ ऐसे कार्य आयातित होते हैं।

(6) भारत में आयातित कास्टिक सोडा लाई के आयातों पर 04-12-2009 से 03-03-2010 की अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से निश्चायक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करते हुए वित्त विधेयक में विशेष उपलबंध किए जा रहे हैं।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी और 15-01-2003 के पश्चात निकाली गई आयात अनुज्ञप्तियों के अधीन नेशनल कंज्यूमर कापरेटिव फेडरेशन और मध्य प्रदेश स्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा आयातित ताजे लहसुन को भूतलक्षी रूप से 30% की रियायती आधारिक सीमा शुल्क प्रदान करने के लिए वित्त विधेयक में विशेष उपबंध किया जा रहा है।

(8) सर्वफ्राम इंडिया स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम आदि जैसी को साथ ही निर्यातों के अधीन वैसे ही फायदा उपलब्ध कराने के लिए ईपीसीजी स्कीम के अधीन किए गए निर्मातों को अनुज्ञात करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से कुछ अधिसूचनाओं को संशोधित किया जा रहा है।

[क्रम सं. 6, 7, और 8 में परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे।]

XVI. **सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन**

(1) धारा 2, "निर्धारण" की परिभाषा के भीतर "स्वतः निर्धारण" सम्मिलित करने के लिए संशोधित की जा रही है।

(2) धारा 17, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा आयातित और निर्यात माल पर शुल्क के "स्वतः निर्धारण" से निर्धारण की विद्यमान प्रणाली को बदलने के लिए संशोधित की जा रही है। पुनरीक्षित उपबंध स्वतः निर्धारण के सत्यापन करने और यदि अपेक्षित है, आयातित या निर्यातित माल पर शुल्क के पुनः निर्धारण के लिए सीमाशुल्क के अधिकारियों को सशक्त करते हैं। यह और उपबंधित किया जा रहा है कि अधिकारी कतिपय स्थितियों में या तो उनके स्वयं के कार्यालयों या परिसरों में संपरीक्षा संचालित कर सकेंगे।

(3) धारा 18 उस दशा में लागू अनंतिम निर्धारण के उपबंधों को बनाने के लिए संशोधित की जा रही है जब कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता "स्वतः निर्धारण" की प्रस्तावित स्कीम के साथ स्वतः निर्धारण करने में असमर्थ है।

(4) धारा 19 उस शुल्क के अवधारण के संबंध में उपबंध एक समान करने के लिए संशोधित की जा रही है जहां वस्तुओं से बना माल धारा 17 के अधीन "स्वतः निर्धारण" की प्रस्तावित स्कीम के साथ शुल्क की विभिन्न दरों को दायी है।

(5) धारा 27 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे कि शुल्क के दावा और ब्याज के प्रतिदाय के लिए समय सीमा छह मास से एक वर्ष बढ़ाया जा सके।

(6) धारा 28 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे कि उपबंधों को और संगत और स्पष्ट बनाया जा सके जो एक वर्ष तक सामान्य मामलों में मांग अवधि को सामंजस्य पूर्ण करने के लिए भी है।

(7) धारा 28 कक और धारा 28कख पुनरीक्षित धारा 28 कक के साथ प्रतिस्थापित की जा रही है जिससे कि ब्याज से संबंधित उपबंधों को और संगत और स्पष्ट बनाया जा सके।

(8) धारा 46 संशोधित की जा रही है जिससे कि आयातित माल की प्रविष्टि इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सके और तब किसी अन्य रीति में प्रविष्टि को फाइल करने के लिए सीमाशुल्क आयुक्त को अनुज्ञात किया जा सके जब इलेक्ट्रानिक रूप में कोई प्रविष्टि प्रस्तुत करना असाध्य है।

(9) धारा 50 संशोधित की जा रही है जिससे कि निर्यातित माल की प्रविष्टि इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सके और तब अन्य रीति में प्रविष्टि को फाइल करने के लिए सीमाशुल्क के आयुक्त को सशक्त करने के लिए उपबंध किया जा सके जब इलेक्ट्रानिक रूप में कोई प्रविष्टि प्रस्तुत करना असाध्य हो।

(10) धारा 75 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी परिस्थिति या विहित करने में समर्थ बनाया जा सके जिनमें शुल्क वापसी तब भी अननुज्ञात नहीं होगी जब निर्यात प्रेषण विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है।

(11) धारा 110क को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि अभिग्रहित माल को निर्मुक्त जाने के लिए अनुज्ञात करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सशक्त किया जा सके।

12) धारा 124 संशोधित की जा रही है जिससे कि कोई अधिकारी जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पूर्व अनुमोदन से कारण बताओ सूचना के जारी करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

13) धारा 131घ, भूतलक्षी रूप से 20.10.2010 से राष्ट्रीय मुकदमा नीति के आधार पर कुछ मामलों में अपील के फाइल न करने से संबंधित अनुदेशों को जारी करने के लिए बोर्ड को सशक्त करने हेतु अंतःस्थापित की जा रही है।

14) एक नई धारा 142क अंतःस्थापित की जा रही है जिससे व्यतिक्रमी ऐसे व्यतिक्रमी से शोध्य सीमाशुल्क की वसूली के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 529क या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति पर प्रथम प्रभार सृजित किया जा सके।

15) धारा 150 संशोधित की जा रही है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नीलामी में विक्रीत अदावाकृत स्थोरा के विक्रय आगमों के अधिशेष का सरकार को संदाय किया जा सके जब उसे छह माह की अवधि के भीतर स्वामी को संदत्त नहीं किया जा सकता ।

16) धारा 151 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य मामलों पर, जहां तक उनका संबंध माल के आयात या निर्यात संबंधी निषेध, निर्बधनों या प्रक्रिया से है, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भी अनुदेश करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

17) धारा 157 सीमाशुल्क के उचित अधिकारियों के कार्यालय या आयातकर्ता के परिसर में संपरीक्षा संचालित करने को रीति को विनिर्दिष्ट करने के लिए विनिमयों को विहित करने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए संशोधित की जा रही है।

[ये विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंग]।

XVII सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

1) धारा 3 को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के साथ बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के प्रतिनिर्देश को प्रतिस्थापित करने के लिए 1-3-2011 से संशोधन किया जा रहा है।

2) धारा 9कक को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि किसी वस्तु या आयातकर्ता पर धारा 9क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार को वहां समर्थ बनाया जा सके या जहां ऐसा आयातकर्ता केन्द्रीय सरकार के समाधान प्रद रूप में यह साबित करता है कि उसने उसके पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक प्रतिपाटन शुल्क संदत्त किया है।

3) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर और क्षति के अवधारण के लिए प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण) नियम, 1995 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि नियम 23 का पुनरीक्षण किया जा सके और प्रतिपाटन पर विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 11 के साथ समान उपबंधों को सम्मिलित किया जा सके और अहानिकर कीमत का अवधारण करने के लिए सिद्धांतों को अंतर्विष्ट करने वाले उपाबंध 3 को भी अंतःस्थापित किया जा सके ।

[ये विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे]

XVIII सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूचियों में संशोधन

1) पहली अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि कतिपय अध्यायों में सुव्यवस्थित नामपद्धति प्रणाली (एच.एस.एन.) में संपादकीय परिवर्तनों को किया जा सके जो 01-01-2012 से प्रभावी होंगे।

2) पहली अनुसूची में शीर्ष 9804 के वर्णन में वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित डाक या वायुयान द्वारा आयातित सभी शुल्क्य मदों को सम्मिलित करने के लिए और शीर्ष के अधीन टैरिफ मदों के लिए 35% की टैरिफ दर विहित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

3) दूसरी अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है जिससे सुव्यवस्थित नाम पद्वति प्रणाली (एचएसएन) के साथ प्रविष्टियों को मिलाया जा सके और डिआयल्ड चावल चोकर खली के लिए नई प्रविष्टि को समाविष्ट किया जा सके। लौह अयस्क प्रपिंडकों, सूक्ष्म और गुटिकाओं और डिआयल्ड चावल चोकर खली से भिन्न सभी मदों पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दरों को लागू रखा जा रहा है।

[(1) में उल्लिखित विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे ।]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

टिप्पण : जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. साधारण

संघ के उत्पाद शुल्कों से संबंधित टैरिफ परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए वित्त विधेयक के खंड 70 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है।

ख. चाहे टैरिफ दरों के संशोधन द्वारा या अधिसूचना द्वारा शुल्क की दरों में परिवर्तनों को अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

(1) उत्पाद शुल्क की 4% की रियायती दर को बढ़ाकर 5% किया जा रहा है। तदनुसार, शर्कर कंफेक्शनरी, पेस्ट्री और केक जैसे तैयार खाद्य पदार्थ; स्टार्चों; कागज और कागज की वस्तुएं, टेक्सटाइल मध्यवर्तियों और टेक्सटाइल माल; औषधि; चिकित्सीय उपकरणों आदि जैसी मदें अब 5% के बढ़े हुए शुल्क के अधीन होंगे।

(2) लगभग ऐसी 130 विनिर्दिष्ट मदों पर, जो अब तक या तो उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त थीं या उत्पाद शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य थीं, बिना सेनवेट प्रत्यय सुविधा के 1% का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है। इस नए उदग्रहण के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों को साधारण एसएसआई छूट उपलब्ध होगी।

(3) ब्रांड नाम वाले या ब्रांड नाम के अधीन विक्रीत तैयार परिधान और टेक्सटाइल मेड अप पर 10% उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है। साधारण एसएसआई स्कीम के भी तैयार वस्त्रों और अन्य टेक्सटाइल मेड अप वस्तुओं पर विस्तारित किया जा रहा है। शुल्क को उनके खुदरा विक्रय मूल्य की 60% की दर पर टैरिफ मूल्य पर प्रभारित किया जाएगा।

(4) स्वचालित करघों और प्रोजोक्टाइल करघों पर 5% का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

(5) गैर-पारंपरिक सामग्री से विनिर्मित कागज की 3500 मीट्रिक टन तक की निवासियों को उपलब्ध उत्पाद शुल्क से छूट वापस ली जा रही है।

(6) सीपीयू या लैपटॉप के भीतर फिटमेंट के लिए मदरबोर्ड से भिन्न कंप्यूटर के लिए माइक्रोप्रोसेसर;फ्लॉपी डिस्क ड्राइव; हार्ड डिस्क ड्राइव; सी-रोम ड्राइव; डीवीडी ड्राइवों/डीवीडी राइटरों; फ्लैश मेमोरी और कॉम्बों ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट वापस ली जा रही है। इन मालों पर 5% की उत्पाद शुल्क की रियायती दर लगाई जाएगी।

ग. क्षेत्र विनिर्दिष्ट अनुतोष उपायः

I. **खाद्य/कृषि प्रसंस्करणः**

निम्नलिखित को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट विस्तारित की जा रही है,—

(क) कृषि, बागवानी, डेयरी, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, जलीय और समुद्री उत्पाद के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्करण के लिए वातानुकूलन उपस्कर, पेनलों और शीत श्रृंखला अवसंरचना प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रशीतन पेनलों.

(ख) कृषि, बागवानी, डेयरी, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, जलीय और समुद्री उत्पाद के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्करण के लिए और खाद्यान्नों और शर्कर के भंडारण के लिए मंडियों और भांडागारों में शीत भंडारण में उपयोग के लिए कन्वेयर बेल्ट प्रणालियां।

II. **पूंजी माल**

(1) विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी विद्यमान वृहत्/परावृहत् विद्युत परियोजना के विस्तार के लिए अपेक्षित मालों पर, ऐसी परियोजनाओं के विस्तार के लिए माल के आयात पर सीवीडी से छूट के समान उत्पाद शुल्क छूट को विस्तारित किया जा रहा है।

(2) विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(3) सिलाई मशीनों के विनिर्दिष्ट पुर्जे (अंतः निर्मित मोटरों वाले पुर्जों से भिन्न) को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट विस्तारित की जा रही है।

III. **पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाले मालः**

(1) ईंधन प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन यानों के लिए उत्पाद शुल्क की 10% की रियायती दर विहित की जा रही है।

(2) जीवाश्म ईंधन यानों को हाइब्रिड यानों में संपरिवर्तित करने के लिए हाइब्रिड किटों पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है। ऐसी किटों के भागों पर 5% का शुल्क लागू होगा।

IV. **सीमेंटः**

सीमेंट और सीमेंट क्लीकरों पर शुल्क की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जा रहा है।

लघु सीमेंट संयंत्र

सीमेंट	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1. पैकेज रूप में निकासी किए गए,—		
(i) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैग या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अनाधिक है;	185 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार
(ii) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैक से अधिक है या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अधिक है;	315 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार + 30 रूपए प्रति टन
2. पैकेज रूप से भिन्न रूप में निकासी किए गए	215 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार
लघु सीमेंट संयंत्र से भिन्न		
सीमेंट	**वर्तमान दर**	**प्रस्तावित दर**
1. पैकेज रूप में निकासी किए गए,—		
(i) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैग या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अनाधिक है;	290 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार + 80 रूपए प्रति टन
(ii) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैक से अधिक है या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अधिक है;	खुदरा विक्रय कीमत का 10%	10% मूल्यानुसार + 160 रूपए प्रति टन
2. पैकेज रूप से भिन्न रूप में निकासी किए गए	10% या 290 रूपए प्रति टन, इनमें जो भी अधिक है।	10% मूल्यानुसार
सीमेंट क्लींकर	375 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार **+ 200 रूपए प्रति टन**

V. **स्वास्थ्य**

सेनेटरी नेपकिनों, शिशु और नैदानिक डायपरों और व्यस्क डायपरों पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर सेनवेट प्रत्यय रहित 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल वैडिंग की समान वस्तुओं को भी यह रियायती शुल्क व्यवहार प्राप्त होगा।

VI. **जल आपूर्ति**

(1) पेयजल के, उसके स्रोत से संयंत्र तक और वहां से प्रथम भंडारण केन्द्र तक परिदान के लिए अपेक्षित पाइपों को वर्तमान में उपलब्ध उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट को ज्यायंट, एल्बो, कपलिंग आदि जैसी पाइप फिटिंगों पर भी विस्तारित किया जा रहा है।

(2) दाबीकृत टैप वाटर का उपयोग करने वाले ऐसे जल फिल्टरों, जो विद्युत का उपयोग नहीं करते हैं और उनकी प्रतिस्थापनीय किटों पर 1% उत्पाद शुल्क की रियायती दर विस्तारित की जा रही है।

VII. **आटोमोबाइल सेक्टर**

(1) कारखाना निर्मित एंब्यूलेंसों पर 10% की दर से उत्पाद शुल्क की रियायती दर विस्तारित की जा रही है। कारखाने से हटाए जाने के पश्चात् एंब्यूलेंस के रूप में रेट्रोफिटिड अन्य यान प्रतिदाय आधारित रियायत के लिए पात्र बने रहेंगे।

(2) टैक्सी प्रतिदाय स्कीम के विस्तार क्षेत्र को, उसमें चालक सहित 13 व्यक्तियों को ले जाने वाले यानों को सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।

(3) टेक्सियों के लिए रियायती उत्पाद शुल्क संरचना को, यानों पर संदत्त उत्पाद शुल्क के 20% का प्रतिदाय करने का तब उपबंध करने, यदि वे हटाए जाने के पश्चात् टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाते हैं, के लिए सुव्यवस्थीकरण किया जा रहा है।

(4) विद्युत टिलरों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट को विस्तारित किया जा रहा है, जब उनकी निकासी उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने को विद्युत टिलरों के विनिर्माण के लिए की जाए।

VIII. **कागज और कागज बोर्ड**

(1) कॉटन स्टॉक पार्टीकल बोर्डों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(2) नालीदार डिब्बों को, चाहे उनकी बाहरी सतह पर दोहरी शीट चिपकाई गई हो अथवा नहीं, उत्पाद शुल्क की 5% की रियायती दर विस्तारित की जा रही है।

(3) ग्रीसरोधी कागज और ग्लासीन कागज पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

घ. बहुमूल्य. धातुएं

(1) क्रमिक रूप से संख्यांकित स्वर्ण छड़ों जो तोला छडों, से भिन्न हैं और जिन्हें अयस्क/सांद्र के प्रक्रम से आरंभ करते हुए उसी कारखाने में बनाया गया है, पर उत्पाद शुल्क को "280 रुपए प्रति 10 ग्राम" से घटाकर "200 रूपए प्रति 10" ग्राम किया जा रहा है।

(2) 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की रियायती उत्पाद शुल्क दर को स्वर्ण डोर बार के परिष्किरण द्वारा विनिर्मित क्रमिक रूप से संख्यांकित स्वर्ण छड़ों पर भी विस्तारित किया जा रहा है।

(3) ताम्र प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित तोला छड़ों से भिन्न क्रमिक रूप से संख्यांकित स्वर्ण छड़ों पर "300 रुपए प्रति 10 ग्राम" का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

(4) अयस्क/सांद्र के प्रक्रम से आरंभ करते हुए स्वर्ण परिष्करण के दौरान .या स्वर्ण डोर बार से या ताम्र प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित रजत पर "1500 रुपए प्रति कि.ग्रा" का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

(5) ब्रांडीकृत आभूषणों और ब्रांडीकृत बहुमूल्य धातुओं की वस्तुओं पर 1% का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

ड. टेक्सटाइल

(1) जूट यार्न के लिए 10% के उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर विहित की जा रही है, जबकि वही इसके साथ ही उसे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

च. प्रकीर्ण

(1) चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त होने वाली एन्जाइमेटिक निर्मितियों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

(2) 400 फुट और 1000 फुट के जंबो रोलों में रंगीन अनुदभासित सिनेमेटोग्राफिक फिल्म को उत्पाद शुल्क से (और इसलिए आयातों पर सीवीडीसे) पूर्ण छूट उपलब्ध कराई जा रही है।

छ. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

(1) 01.03.2011 से वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के निर्देश को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 से प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 4क का संशोधन किया जा रहा है।

(2) धारा 11क, धारा 11कक, धारा कख और धारा क ग से उपबंधों को पुनःप्रारूपित किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें स्पष्ट और सरल बनाया जा सके। मामलों के एक नए वर्ग को बनाया जा रहा है, जिनके संबंध में परिसीमा की अवधि पांच वर्ष होगी किंतु उन पर शुल्क के 50% की साधारण शास्ति लागू होगी। कारण बताओं सूचना का अधित्यजन और कार्यवाहियों की समाप्ति तब उपलब्ध होगी, यदि ऐसे मामलों में कारण बताओ सूचना जारी होने से पूर्व ब्याज और विनिर्दिष्ट शास्ति के साथ शुल्क का संदाय कर दिया जाता है।

(3) कंपनी अधिनियम की धारा 529क, बैंक और वित्तीय संस्था को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःसंरचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक नई धारा 11ड. अंतः स्थापित की जा रही है, जिससे कि किसी व्यतिक्रमी से केन्द्रीय उत्पाद शोध्यों की वसूली के लिए व्यतिक्रमी की संपत्ति पर प्रथम प्रभार सृजित किया जा सके।

(4) धारा 3क प्रारंभ करने की तारीख, अर्थात् 10.05.2008 से धारा 3क का निर्देश अंतः स्थापित करने के लिए धारा 12 का संशोधन किया जा रहा है।

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त को किसी परिसर की स्वयं तलाशी लेने या किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करने हेतु सशक्त करने के लिए धारा 12च अंतःस्थापित की जा रही है।

(6) 20.10.2010 के भूतलक्षी प्रभाव से एक नई धारा 35द अंतःस्थापित की जा रही है, जिससे बोर्ड को राष्ट्रीय मुकदमा नीति के अनुरूप कतिपय मामलों में अपील फाइल न करने से संबंधित अनुदेश जारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

(7) धारा 38(2) का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि इसके उपबंधों को धारा 5ख के अधीन जारी अधिसूचनाओं को लागू किया जा सके।

[ये विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे।]

ज. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूचियों में संशोधन

(1) विनिर्दिष्ट मदों के लिए 5% की टैरिफ दर विहित की जा रही है, जिन्हें सेनवेट प्रत्यय सुविधा के बिना 1% उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर के अध्यधीन किया जा रहा है।

(2) अध्याय 15 के अध्याय टिप्पण 5 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि उसमें शीर्ष 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 और टैरिफ मद 1516 1000 अंतःस्थापित की जा सके ।

(3) अध्याय 22 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पैकिंग या पुनः पैकिंग या उपभोक्ता के उत्पाद को विपणनीय बनाने के लिए किसी उपचार को अपनाना, विनिर्माण के समतुल्य होगा।

(4) अध्याय 26 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, अयस्कों को सांद्रो से संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।

(5) अध्याय 63 में दो अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किए जा रहे हैं जिससे कि "ब्रांड नाम" पद को परिभाषित किया जा सके तथा यह उपबंध किया जा सके कि उत्पाद पर ब्रांड नाम लगाना आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या स्थूल पैकों से खुदरा पैकों में पैक करना या पुनः पैक करना अथवा उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अंगीकृत करना "विनिर्माण" की कोटि में आएगा।

(6) अध्याय 71 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि डोर बार के परिष्करण की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।

(7) रजत चूर्ण, रजत अनगढ़ और विशिष्ट रूपों में अर्ध विनिर्मित रजत पर उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर को शून्य से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

(8) अध्याय 72 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में "गाल्वैनीकरण" की प्रक्रिया विनिर्माण की कोटि में आएगी।"

(9) कतिपय अध्यायों में नामपद्धति की सुव्यवस्थित प्रणाली में संपादकीय परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए पहली अनुसूची को भी संशोधित किया जा रहा है, जो 01.01.2012 से प्रभावी होगी।

(10) तीसरी अनुसूची को कतिपय विशिष्ट माल को सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है, जिन्हें धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया गया था। यह परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।

झ. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम 2004 में संशोधनः

(1) इनपुट, इनपुट सेवाओं, पूंजी माल, छूट प्राप्त माल और छूट प्राप्त सेवाओं की परिभाषाओं को परिवर्तित और स्पष्ट करने के लिए भी नियम 2 का संशोधन किया जा रहा है।

(2) रियायती मालों पर शुल्क के संदाय के लिए प्रत्यय का उपयोग अननुज्ञात करने के लिए नियम 3 और नियम 4 का संशोधन किया जा रहा है (जिसकी बाबत इस शर्त के अधीन कि इनपुट और इनपुट सेवाओं पर कोई केंद्रीय मूल्यवर्धित कर नहीं लिया जा रहा है, पूर्ण छूट से भिन्न कोई छूट प्राप्त नहीं की जा रही है)।

(3) नियम 3 को भूतलक्षी रूप से 18.04.2006 से यह उपबंध करने के लिए कि धारा 66क के अधीन संदत्त सेवा कर का प्रत्यय भी अनुज्ञेय होगा, संशोधन किया जा रहा है। यह परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।

(4) पोत विघटन इकाईयों द्वारा केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय प्राप्ति को विघटन के लिए पोत के आयात के समय संदत्त अतिरिक्त सीमा शुल्क के 85% तक निर्बंधित किया जा रहा है।

(5) नियम 4(7) को आगत सेवा वापस प्राप्त करने के बीजक मद्दे किए गए किसी संदाय के मामले में केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के परिवर्तन हेतु उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

(6) नियम 6 को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जा रहा है,—

(क) छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के 6% के संदाय की अपेक्षा को घटाकर 5% करना

(ख) नियम 6(3क) में आबंटन सूत्र के अनुसार मात्र आगत सेवा प्रत्यय की रकम को परिवर्तित करने तथा आगतों के लिए पृथक लेखा अनुरक्षित करने का उपबंध करना;

(ग) यह उपबंध करना कि इस नियम के अधीन किया गया संदाय अनुयोज्य छूट के प्रयोजन के लिए प्रत्यय का लाभ लेना नहीं माना जाएगा;

(घ) उन मामलों में जहां सेवाओं का मूल्य सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और कर का संग्रहण विवृत या विनिर्दिष्ट सिद्धांत पर किया जाता है, सेवाओं का मूल्य स्पष्ट करना;

(ड.) नियम 6(5) का लोप किया जा रहा है।

(7) नियम 6(3 ख) यह उपबंध करने के लिए समाविष्ट किया जा रहा है कि प्राप्त किए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का केवल 50% बैंककारी कंपनी और वित्तीय संस्थान द्वारा "बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" के अधीन सेवा कर के संदाय मद्दे उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा।

(8) नियम 6 (3ग) यह उपबंध करने के लिए समाविष्ट किया जा रहा है कि प्राप्त किए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का केवल 80% यू.एल.आई.पी. के अधीन जीवन बीमा सेवा और विनिधान के प्रबंधन प्रदाताओं द्वारा सेवा कर के संदाय मद्दे उपलब्ध रहेगा।

(9) एक नया नियम 6 (6क) यह उपबंध करने के लिए अंतः स्थापित किया जा रहा है कि उक्त नियम के उपनियम (1), (2), (3) और (4) के उपबंध सेवा कर के संदाय के बिना एसईजेड इकाई या विकासकर्त्ता को प्रदत्त कराधेय सेवाओं को लागू नहीं होंगे।

ञ. औषधीय और प्रसाधन विनिर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 का संशोधन

(1) अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 को बांट और माप मानक अधिनियम, 1976 को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रतिनिर्देश से 01.03.2011 से प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधित किया जा रहा है।

[ऊपरवर्णित विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा]

ट. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957

चीनी और टैक्सटाइल मदों को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की अनुसूची से लोप किया जा रहा है।

[ऊपरवर्णित विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा]

सेवा कर

I. निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है :

(1) वातानाकूलित रेस्टोंरेंटों जिनके पास भोजन और/या सुपेयों को परोसने के संबंध में एल्कोहालिक सुपेयों को परोसने के लिए अनुज्ञप्ति है, द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।

(2) किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या कैंप स्थल या किसी अन्य वैसे ही स्थापन द्वारा तीन मास से कम की सतत् अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया अल्पकालिक आवास।

उपरोक्त सेवाएं वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगी ।

II कतिपय विद्यमान सेवाओं की परिधि का निम्नलिखित रूप में विस्तार किया जा रहा है या उनमें परिवर्तन किया जा रहा हैः

(1) जीवन बीमा सेवा की परिधि को जीवन बीमा कारबार करने वाले पुनः बीमाकर्ता सहित किसी बीमाकार्ता द्वारा किसी पालिसी धारक या किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए व्यापक बनाया जा रहा है। यह भी उपबंध किया जा रहा है कि कर उस प्रीमियम से भिन्न प्रीमियम, जो विनिधान के लिए तब आबंटित किया जाता है जब प्रीमियम का वितरण किसी धारक को प्रदान किए गए किसी दस्तावेज में पृथक्तः दर्शाया गया है, के भाग पर प्रभारित किया जाएगा। समेकित दर को भी 1% से बढ़ाकर 1.5% किया जा रहा है।

(2) "क्लब या संगम सेवा" की परिधि का भी गैर-सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवा को इसके दायरे में सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया जा रहा है।

(3) "प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" की परिधि का निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया जा रहा हैः—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;

(ख) माल वहन के लिए मोटर यानों से भिन्न सभी मोटर यानों और तिपहिया स्कूटर आटो रिक्शा; और

(ग) पहले से ही शामिल की गई सेवाओं सहित यानों की बाबत सजावट की सेवाएं और अन्य वैसी ही सेवाएं भी ।

(4) "कारबार अवलंब सेवाएं" की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है जिससे किसी रीति में प्रचालन या प्रशासनिक सहायता के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को सम्मिलित किया जा सके ।

(5) विधिक परामर्श सेवाओं की परिधि का निम्नलिखित को उसकी परिधि में लाकर विस्तार किया जा रहा है :

(क) किसी भी रीति में विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में कारबार अस्तित्व द्वारा व्यष्टियों को प्रदान की गई सेवा;

(ख) किसी कारबार अस्तित्व को किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सादृश्यमूलक सेवा (व्यष्टियों को प्रदान की गई सादृश्यमूलक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी); और

(ग) किसी कारबार अस्तित्व को माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा प्रदान की "माध्यस्थम्" सादृश्यमूलक सेवा ।

(6) वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा में, "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र" की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है जिससे उस तथ्य को ध्यान में लाए बिना सभी गैर मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों को कर दायरे के भीतर लाया जा सके कि ऐसे पाठ्यक्रम किसी ऐसी संस्था द्वारा संचालित किए जाते हैं जो उन पाठ्यक्रमों का भी संचालन करती है जिनके परिणामस्वरूप मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा का अनुदत्त किया जाना हो।

(7) स्वास्थ्य सेवाओं की परिधि का निम्नलिखित को सम्मिलित करके विस्तार किया जा रहा हैः

(क) ऐसी सभी सेवाएं जिनके अन्तर्गत ऐसी नैदानिक सेवाएं भी हैं जो वर्ष के किसी भाग के दौरान अंतरंग रोगी उपचार के लिए पच्चीस से अधिक बिस्तरों वाले केन्द्रीय रूप से वातानुकूलित (पूर्णतः या आंशिकतः) नैदानिक स्थापन द्वारा प्रदान की जाती हैं;

(ख) प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सीय उपकरण की सहायता से नैदानिक स्थापन द्वारा प्रदान की जा रही नैदानिक सेवाएं; और

(ग) किसी ऐसे चिकित्सक द्वारा, जो नैदानिक स्थापन का कर्मचारी नहीं है, परन्तु ऐसे स्थापन के परिसर से प्रदान की गई सेवाएं।

उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से सम्मिलित किए जाने को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान स्वास्थ्य सेवाएं जहां बीमा कंपनी या कारबार अस्तित्वों द्वारा संदाय सीधे किया जाना अपेक्षित है, वहां अब प्रचालन में नहीं रहेंगी।

उपरोक्त परिवर्तन, वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

III छूट

(1) भारत के बाहर आयोजित कारबार प्रदर्शनियों के संबंध में कारबार प्रदर्शनियों के आयोजकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की जा रही है।

(2) तटीय और अन्तर्देशीय पोत परिवहन के माध्यम से माल के परिवहन, के अधीन सेवा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कराधेय मूल्य से 25% की कमी प्रदान की जा रही है।

(3) "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन" और राजीव आवास योजना" के अधीन नए आवासीय काम्पलेक्स के संनिर्माण या तैयार करने के लिए प्रदान की गई "संकर्म संविदा" सेवा को छूट प्रदान की जा रही है।

(4) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए "संकर्म संविदा" सेवा के अधीन पत्तन या अन्य पत्तन या किसी वायुपत्तन के भीतर प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की जा रही है।

(5) "साधारण बीमा" सेवा के अधीन "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" को छूट प्रदान की जा रही है।

(6) सीमा शुल्कों को प्रभारित करने के लिए माल के निर्धारणीय मूल्य में सम्मिलित वायुयान भाड़े के मूल्य को "वायुयान द्वारा माल का परिवहन" सेवा के अधीन सेवा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कराधेय मूल्य से अपवर्जित किया जा रहा है।

(7) सड़क, रेल या वायुमार्ग से माल के परिवहन से संबद्ध सेवाओं को, जब उद्गम और गंतव्य दोनों ही भारत से बाहर अवस्थित हों सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

(8) सेज यूनिटों और विकासकर्ताओं के लिए सेवा कर का प्रतिदाय करने के लिए उपांतरित स्कीम को आरंभ किया जा रहा है और अधिसूचना सं. 9/2009- एस.टी. को अधिक्रान्त किया जा रहा है । उपांतरित स्कीम में "पूर्णतः उपयोग की गई" सेवाओं को "तत्काल छूट" विस्तारित करने के लिए और आनुपातिक आधार पर सभी अन्य सेवाओं के प्रतिदाय को अनुज्ञात करने के लिए अधिसूचना में परिभाषित किया जा रहा है।

क्र. सं. (1) से क्र. सं. (5) और क्रम सं. (8) पर के परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे। क्रम सं. (6) और क्रम सं. (7) पर के परिवर्तन 01-04-2011 से प्रभावी होंगे।

IV छूटों का वापस लिया जाना या उनमें संशोधन

(1) वायुयान द्वारा यात्रा पर सेवा कर की दरें निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित की जा रही हैं :

(क) घरेलू यात्रा (मितव्ययी वर्ग) : 100 रुपए से 150 रुपए;

(ख) अन्तरराष्ट्रीय यात्रा (मितव्ययी वर्ग) : 500 रुपए से 750 रुपए;

(ग) घरेलू यात्रा (मितव्ययी वर्ग से भिन्न) : 10% (मानक दर)।

उपरोक्त परिवर्तन 1-4-2011 से प्रभावी होंगे।

(2) "क्लब या संगम सेवा" के अधीन सदस्यता शुल्क पर सेवा कर से छूट 16-6-2005 से 31-3-2008 तक की अवधि के लिए उद्योग या वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संगमों या चैम्बरों को प्रदान की जा रही है।

(3) 1-4-2000 से 6-7-2009 तक की अवधि के लिए संविदा वहन अनुज्ञापन या पयर्टक यान अनुज्ञापन वाले यान में अन्तर्राज्यीय या अन्तर्राज्यीय यात्री परिवहन पर सेवा-कर से छूट देने वाली अधिसूचना सं. 20/2009-एस.टी. तारीख 7-7-2009 को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

क्रम सं. (2) और क्रम सं. (3) पर के परिवर्तनों को वित्तीय विधेयक, 2011 के माध्यम से प्रभावी किया जा रहा है और वे विधेयक के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

V नियमों और अधिसूचनाओं में संशोधन

(1) सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6 (4ख) (iii) के अधीन समायोजन के लिए 1,00,000 रुपए की धनीय सीमा को 2,00,000 रुपए तक बढ़ाया जा रहा है ।

[यह परिवर्तन 1-4-2011 से प्रभावी होगा]

(2) सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6 (7क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि जीवन बीमा का कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता को :

(क) पालिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम की रकम पर जो विनिधान के लिए आंबटित रकम को घटाकर वहां आए, जहां विनिधान के लिए आबंटित रकम का विवरण पालिसीधारक को पृथक् रूप से दर्शाया गया है;

(ख) ऊपर (i) से भिन्न मामलों में पालिसीधारक से भारित प्रीमियम की सकल रकम की 1.5% की दर पर संगणित रकम पर;

वित्त विधेयक 1994 की धारा 66 में विहित दर पर सेवा कर संदाय करने के बजाए अपने सेवा कर दायित्व के निर्वहन मद्दे कर का संदाय करने का विकल्प प्राप्त होगा।

ऐसा विकल्प उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगा जहां पालिसी धारक द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा में जोखिम कवर के लिए है।

(उपरोक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचना की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।)

(3) विदेशी मुद्रा के विक्रय तथा क्रय से संबंधित सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6 (7) के खंड (ख) को, -

(क) परन्तुक और दृष्टान्त का लोप करने के लिए; और

(ख) सेवा कर दायित्व के निर्वहन के लिए विनिमय की गई करेन्सी की कुल रकम की समेकित दर को 0.25% से घटाकर 0.1% करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

(4) सेवा कर नियम, 1994 में नियम 6 (6क) यह उपबंध करने के लिए अन्तः स्थापित किया जा रहा है कि यदि सेवा कर की किसी रकम का स्वतः निर्धारण किया गया है और संदाय नहीं किया गया है, तो वह अधिनियम की धारा 87 के अधीन ब्याज सहित वसूलनीय होगी। इस प्रकार धारा 73 के उपबंधों का आश्रध लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(5) सेवा कर (मूल्य का अवधारण) नियम, 2006 में यह परिभाषित किया जा रहा है कि :

(i) भारतीय रुपए से या उसमें परिवर्तित की गई करेन्सी के लिए मुद्रा परिवर्तन सेवा का मूल्य, यथा स्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस दिन के लिए उस करेन्सी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अन्तर से गुणित विनिमय की गई करेंसी की यूनिटों के बराबर होगा;

(ii) जहां भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश दर उपलब्ध नहीं है वहां करेंसी के लिए मुद्रा परिवर्तन सेवा का मूल्य मुद्रा परिवर्तन करने वाले व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई या प्राप्त की गई भारतीय रुपए की सकल रकम का 1% होगा;

(iii) जहां किसी भी करेन्सी का भारतीय रुपए में विनिमय नहीं किया जाता है वहां मुद्रा परिवर्तन सेवा का मूल्य उन दोनों रकमों में से निम्नतर के 1% के समान होगा जिन्हें धन परिवर्तन करने वाले व्यक्ति ने उस दिन दो करेन्सियों को भारतीय रुपए में से किसी करेन्सी को संपरिवर्तित करके प्राप्त किया होता।

(6) यह स्पष्ट करने के लिए सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 5(1) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है कि दूरसंचार सेवाओं के प्रयोजन के लिए, कराधेय सेवा का मूल्य सेवा प्राप्तकर्ता से टेलीग्राफ प्राधिकारी द्वारा प्रभारित सकल रकम होगी।

(7) सेवा निर्यात नियम, 2005 और कराधान सेवा (भारत से बाहर प्रदान की गई और भारत में प्राप्त की गई) नियम, 2006 को संशोधित किया जा रहा है जिससे विनिर्दिष्ट सेवाओं में से कुछ सेवाओं को एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में अंतरित किया जा सके।

[क्रम सं. (3) से क्रम सं. (7) पर के परिवर्तन 1-4-2011 से प्रभावी होंगे]

(8) यह उपबंध करने के लिए संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए समेकित स्कीम) के नियम 3 में उपनियम (2क) अन्तःस्थापित किया जा रहा है कि "संकर्म संविदा सेवा" प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति को यथा उपलब्ध "निर्माण, चालू करना या संस्थापन; वाणिज्यिक या औद्योगिक संनिर्माण" और "परिसर संनिर्माण" सेवाओं की अन्तःनिवेश सेवाओं पर कर प्रत्यय संदत्त कर का 40% तक तब निर्बंधित किया जाएगा जब ऐसा कर अन्तर्निवेश पर सेनवेट प्रत्यय का लाभ लेने के पश्चात् सेवा के पूर्ण मूल्य पर संदत्त किया गया है।

[क्रम सं. (8) पर परिवर्तन 01-3-2011 से प्रभावी होंगे]।

VI अधिनियम में संशोधन

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है :—

(1) धारा 73 की उपधारा (1क) का इस धारा की उपधारा (2) के दोनों परंतुकों के साथ लोप करें । इसके परिणामस्वरूप, धारा 73 (1क) के परन्तुक के अधीन कपट दुरभिसंधि, आदि के मामलों में उपलब्ध शास्ति में कमी का फायदा उपलब्ध नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में कम शास्ति का उपबंध करने के लिए धारा 73 में एक नई धारा 1क वहां अन्तःस्थापित की जा रही है जहां लेखा परीक्षा, सत्यापन या अन्वेषण के दौरान यह पाया जाता है कि विभाग को रिपोर्ट नहीं किए गए संव्यवहार अभिलेखों या बीजकों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकतम 25% के अधीन रहते हुए शास्ति को कर की रकम का 1% प्रतिमास तक घटाया जा रहा है।

(2) धारा 76 के अधीन विलंबित संदाय के लिए शास्ति प्रतिमाह 2% से घटा कर 1% या 100 रुपए प्रतिदिन जो भी अधिक हो करने की अधिकतम शास्ति को कर रकम के 50% तक कम किया गया है।

(3) धारा 77 के अधीन अधिकतम शास्ति को 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करना।

(4) अधिकतम शास्ति को पुनरीक्षित करने के लिए धारा 78 का संशोधन करना। इसके पश्चात्, शास्ति अनिवार्य और अपवंचित कर के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 4क के अन्तर्गत आने वाली परिस्थितियों में, शास्ति कर रकम की 50% होगी। इसके अतिरिक्त, शास्ति को घटाकर 25% किया जा रहा है यदि कर बकाया का ब्याज और घटाई गई शास्ति सहित एक मास के भीतर संदाय कर दिया जाता है। कारण बताओ सूचना के अंतर्गत आने वाले किसी वर्ष में या पूर्ववर्ती वर्ष में 60 लाख रुपए तक की आवर्त रखने वाले निर्धारितियों के लिए, एक मास की अवधि को पुनरीक्षित कर 90 दिन कर दिया गया है।

(5) धारा 73ख और धारा 75 दोनों के अधीन 60 लाख रुपए तक की आवर्त वाले निर्धारितियों के लिए ब्याज दर घटाकर 3% तक करना ।

(6) धारा 70 के अधीन विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए अधिकतम शास्ति को 2000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने । तथापि, सेवा कर नियम, 1994 के नियम 7ग के अधीन पहले 15 दिन के लिए शास्ति की विद्यमान दर और पश्चात्वर्ती 15 दिन भी शास्ति की दर और तत्पश्चात् 100 रुपए प्रति दिन की दैनिक शास्ति को बिना किसी परिवर्तन के प्रतिधारित किया जा रहा है।

(7) धारा 80 के अधीन शास्ति का अभियोजन करने की शक्ति का संशोधन करने। यद्यपि धारा 76 और धारा 77 के अधीन शास्तियों को प्रतिधारित किया जा रहा है, वहीं धारा 78 के अधीन शास्ति का अभियोजन केवल ऐसे मामलों में किया जा रहा है, जहां संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट अभिलेखों में रखा जाता है।

(8) संयुक्त आयुक्त के स्तर पर धारा 82 के अधीन तलाशी वारंट जारी करने और अधीक्षक के स्तर पर ऐसे वारंट को निष्पादित करने की शक्ति प्रदान करने।

(9) केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9क, धारा 9कक, धारा 9ख, धारा 9ङ; धारा 34क और नई धारा 35द को धारा 83 के अधीन सेवा कर को लागू करने।

(10) एक नयी धारा 88 अंतःस्थापित की जा रही है जिससे कंपनी अधिनियम की धारा 529क, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यतिक्रमी से सेवा कर शोध्यों की वसूली के लिए व्यतिक्रमी की संपत्ति पर प्रथम भार सृजित किया जा सके।

(11) धारा 89 के अधीन अभियोजन से संबंधित उपबंधों को निम्नानुसार पुनः लागू करना :

(i) निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोजन लागू होगा :

(क) बीजक के बिना सेवा का उपबंध;

(ख) अंतर्निवेशों या अंतर्निवेश सेवाओं की प्राप्ति के बिना सेनवेट प्रत्यय का लाभ लेना और उसका उपयोग करना;

(ग) मिथ्या सूचना प्रस्तुत करना; और

(घ) छह मास से अधिक की अवधि के लिए सेवा कर की संगृहीत रकम का संदाय न करना।

(ii) अभियोजन की मंजूरी मुख्य आयुक्त के स्तर पर प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जानी है।

VII कराधान का समय नियम, 2011

कराधान का समय नियम, 2011 को विरचित किया गया है और 01.04.2011 से प्रभावी किया गया है। ये नियम उस समय का अवधारण करेंगे, जब सेवाओं को उपलब्ध करा दिया गया समझा जाएगा।